नन्द नगरी में उमरदीन की हत्या

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स
(PUDR) दिल्ली, मार्च 2026

नन्द नगरी में उमरदीन की हत्या

देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर पूर्व जिले और शहादरा जिले में नंद नगरी इलाके के प्रशासनिक मुख्यालय है। 17 फरवरी, 2026 को शाम लगभग 5:30 बजे भीष्म पितामह सर्वोदय बाल विद्यालय, ब्लॉक बी-1 के पास एक व्यक्ति (उमरदीन) की गोली मारकर हत्या की खबर समाचार पत्रों में आई थी। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर) नन्द नगरी गई और पीड़ित परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अभियुक्त के परिवार तथा पड़ोसियों से बातचीत की। इसके अलावा इस केस की पुलिस जांच कर रहे सहायक आईओ से फोन पर बात कर मामले की जानकारी भी एकत्र की गई है।

एफआईआर और कानूनी स्थिति

उत्तर-पूर्व जिले के नन्द नगरी थाने में एफआईआर नं. 0110 दर्ज है, जिसमें बीएनएस की धारा 103(1)/3(5) तथा आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25/27 लगाई गई है। इस एफआईआर में सुनील पुत्र विशन सिंह, निवासी बी-1/337 नन्द नगरी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। यह एफआईआर मृतक उमरदीन की पत्नी राबिया बीवी की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसे पुलिस ने उनके किराये के घर सी-3/293 पर जाकर दर्ज किया।

पीड़ित पक्ष ने कानूनी स्तर पर सहयोग के लिए एक वकील नियुक्त किया है। जांच समिति को बताया गया है कि वकील ने उक्त घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए अदालत से आदेश प्राप्त किया है।

हत्या की घटना से पहले की घटना

पीयूडीआर की टीम जांच पड़ताल के दौरान घटना स्थल बी-1 ब्लॉक गई। वहां एक दुकानदार ने बताया कि इस इलाके में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। घटना वाले दिन भी दोनों ब्लॉकों के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, जो आगे चलकर मारपीट में बदल गया।

पीड़ित परिवार का बयान

जांच समिति को राबिया बीवी ने बताया कि उनके परिवार में कुल सात सदस्य थे—सबसे बड़ा बेटा तहजीम, उसके बाद चार बेटियां हैं, (जिसमें से एक बेटी अभी गोद में है) और उनके पति उमरदीन। उनके पति ही घर में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे और ड्राइवर थे। घर का किराया 4000 रुपये है और बिजली बिल मिलाकर लगभग 5000 रुपये खर्च हो जाता है। उनका बेटा तहजीम (16 वर्ष) दसवीं कक्षा का छात्र है। वह नियमित रूप से स्कूल जाता था और ट्यूशन भी पढ़ता था।

बी-1 और सी -3 दोनों ब्लॉकों के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था , उस झगड़े का असर बी-1 में उस वक्त भी बना हुआ था जब सी-3 का रहने वाला तहजीम ट्यूशन से लौट रहा था। सी-3 मुस्लिम आबादी वाला ब्लॉक है।

तहजीम की मां राबिया के अनुसार, घटना वाले दिन 17 फरवरी 2026 को जब तहजीम ट्यूशन से लौट रहा था, तो कुछ लोगों ने यह कहते हुए उसे पकड़ लिया कि “यह भी सी-3 का है, इसे पकड़ो।” इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। तहजीम ने अपने पिता को फोन कर बताया कि उसके साथ मारपीट हो रही है। यह सुनकर राबिया और उनके पति बाइक से बी-1 ब्लॉक पहुंचे, जहां तहजीम ने सुनील सरदार की ओर इशारा करते हुए बताया कि इन्हीं लोगों ने उसके साथ मारपीट की है।

इसके बाद उमरदीन और सुनील सरदार के बीच हाथापाई होने लगी। उसी दौरान सुनील के भाई ने कहा, “लेकर आओ।” इसके बाद सुनील घर के अंदर गया और रिवॉल्वर लेकर आया। उसने दो हवाई फायर किए और फिर उमरदीन के साथ गुत्थम-गुत्था होने लगी। इसी दौरान उसने उमरदीन के सीने में गोली मार दी। राबिया के अनुसार, वह उन्हें तुरंत ऑटो से जीटीबी अस्पताल लेकर गईं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1.District (जिला): NORTH EAST (DELHI) Year(वर्ष): 2026 P.S.(थाना): NAND NAGRI
FIR No(प्र.सू.रि.स.): 0110 Date & Time of FIR (व दिनांक की प्रसूप्र): 17/02/2026

2. Act(s)(अधिनियम): Section(s)(धारा(एँ)):
- THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023 — 103(1)/3(5)
- ARMS ACT, 1959 — 25/27

3. Occurrence of Offence (अपराध की घटना):
(a Day(दिन): TUESDAY Date From(दिनांक से): 17/02/2026 Date To(दिनांक तक): 17/02/2026
Time Period (समय Time From (समय से): 17:45 hrs Time To (समय तक): 17:45 hrs
(b Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई Date(दिनांक): 17/02/2026 Time 23:00 hrs
(c)General Diary Reference (रोजानामचा Entry No.(प्रविष्टि 132A Date/Time 17/02/2026 23:16

4. Type of Information (सूचना का Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
(a) Direction and Distance from P.S (थाना से दूरी और N/A , 1.5 Km(s) Beat No(बीट स.) : 02
(b) Address(पता): ,BHISHM PITAMAAH SARVODAYA BAL VIDYALAYA, B- BLOCK ,NAND NAGRI, DELHI
(c) In case, Outside the limit of the Police Station (यदि थाना सीमा के बाहर हैं):
Name of P.S(थाना का नाम): District(जिला):

6. Complainant / informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a Name(नाम): RABIA BI (W/O) UMARDEEN
(b Date/Year of Birth (जन्म तिथि 1989 Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(c)Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि Place of Issue (जारी करने का
(d Occupation HOUSEWIFE
(e Address(पता): C-3/293 NAND NAGRI, NORTH EAST, DELHI, INDIA, 9211420175,

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary)(ज्ञात/ संदिग्ध /अजात का पुरे विवरण सहित वर्णन

1	SUNIL		Father:BISHAN SINGH	1. B-1/337, Nand Nagri,NORTH EAST, DELHI,INDIA	1. B-1/337, Nand Nagri,NORTH EAST, DELHI,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):
NO DELAY

9. Particulars of the properties stolen/involved (attach separate sheet if necessary):

Sl.No. (क्र.सं.)	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)(मूल्य (रु में))
1	ARMS AND AMMUNITION(EXHIBIT1. EMPTY CARTRIDGE CASE (K.F 7.65) EXHIBIT 2. EMPTY CARTRIDGE CASE (K.F 7.65) EXHIBIT 3. EMPTY CARTRIDGE CASE (K.F 7.65))	-

राबिया का आरोप है कि पुलिस उन्हें धमका रही है कि अगर वे सुनील के अलावा और लोगों के नाम लेंगी तो उनके बेटे को भी केस में फंसा दिया जाएगा। जांच समिति जब इस घटना के बारे में जानकारी हासिल कर रही थी तब उत्तम नगर में होली के दिन 4 मार्च को एक वारदात हो चुकी थी। राबिया की पुलिस द्वारा सुनील के अलावा

उसके भाईयों को एफआईआऱ में शामिल नहीं करने की लगातार शिकायत के बाद उत्तम नगर की वारदात सामने आई थी। राबिया की शिकायत ने एक दूसरे नजरिया का रुप ले लिया। राबिया की बड़ी बहन भी उसी कॉलोनी में रहती हैं। उन्होंने बताया कि यहां सभी लोग मिल-जुलकर रहते हैं और पहले कभी हिन्दू-मुस्लिम जैसा माहौल नहीं रहा। उनका कहना था कि यहां इतना बड़ा विवाद कभी नहीं हुआ। लेकिन बातचीत के दौरान वह बार-बार उत्तम नगर की घटना (4 मार्च, होली) का जिक्र कर रही थीं, जिसमें एक मुसलमान द्वारा हिन्दू की हत्या किए जाने के बाद आरोपी का घर तोड़ दिया गया था। उनका कहना था कि यहां हिन्दू द्वारा मुसलमान की हत्या की गई है,और हमने और भी लोगों के नाम बताया लेकिन पुलिस ने हमारी बातों को नहीं सुनी।

जांच समिति को राबिया ने यह भी बताया कि तहजीम की दसवीं की परीक्षा चल रही है। तहजीम की परीक्षा दिलाने के लिए दो दिन एक सिपाही साथ स्कूल लेकर गया । उसके बाद पुलिस ने यह कहकर मना कर दिया कि तहजीम की सुरक्षा की व्यवस्था खुद करो। पुलिस ने पहले कहा था कि तहजीम को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन दो दिन परीक्षा के बाद पुलिस ने कह दिया कि वे साथ नहीं जा सकते। रबिया ने सवाल किया कि अगर कोई पीछे से हमला कर दे तो वे क्या कर सकते हैं। राबिया इस बात को लेकर चिंतित थीं कि पुलिस उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे रही है।

घटना स्थल के आसपास के आर्थिक सामाजिक हालात

उनकी गली के मुहाने पर दुकान करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि यहां चार गलियों में मुस्लिम परिवार रहते हैं और बाकी अधिकतर वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं। उनका कहना था कि इलाके में चोरी और नशे की घटनाएं काफी होती हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि हाल ही में एक सेल्समैन जब अपनी बाइक से सामान देने गया, तो एक व्यक्ति उसका हेलमेट लेकर चला गया।

उनका कहना था कि यहां बच्चे मुश्किल से हाईस्कूल या इंटर तक पढ़ पाते हैं। अगर फेल होने का नियम सख्ती से लागू होता, तो शायद पढ़ने वालों की संख्या और कम हो जाती। यहां अधिकतर लोग मजदूरी से जुड़े हैं और अलग-अलग तरह के छोटे-मोटे काम करते हैं। गांधी नगर में सिलाई का काम करने वाले एक व्यक्ति ने भी कहा कि यहां बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। सी-3 ब्लॉक में कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ना है तो उन्हें नत्थुपुरा या दूसरे ब्लॉकों में जाना पड़ता है।

दुकानदार ने बताया कि लगभग पांच साल पहले यहां हिन्दू-मुस्लिम को लेकर एक झगड़ा हुआ था, लेकिन वह भी कुछ नशे में रहने वाले लोगों के बीच हुआ था। बाद में उसे साम्प्रदायिक रंग दे दिया गया। इसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

पुलिस का पक्ष

मामले के पुलिस जांच अधिकारी (आईओ) ने फोन पर बताया कि सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया है। 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जिसके बाद ही वह जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। जब उनसे पूछा गया कि बाकी लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उन्होंने सीसीटीवी का हवाला दिया और कहा कि फोन पर किसी को भी जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह पता नहीं होता कि सामने वाला कौन है। उन्होंने कहा कि यदि जानकारी चाहिए तो आकर मिलकर बात करें।

पीयूडीआर की टीम जांच पड़ताल के दौरान घटना स्थल बी-1 ब्लॉक गई। वहां एक दुकानदार ने बताया कि इस इलाके में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। घटना वाले दिन भी दोनों ब्लॉकों के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, जो आगे चलकर मारपीट में बदल गया। उनके अनुसार, पीड़ित पक्ष के लोग—पति-पत्नी और उनके बच्चे—भी वहां आए और ईंट-पत्थर चलाने लगे तथा गालियां देने लगे। दूसरी ओर, आरोपी पक्ष के लोग भी तीन-चार भाई हैं और इलाके में उनका कुछ रसूख माना जाता है। जानकार बताते हैं कि रसूख का मतलब यहां मसल पावर है। आरोपी पक्ष तीन चार भाईयों वाला है।

अभियुक्त के परिवार की स्थिति

पीयूडीआर की टीम जब अभियुक्त सुनील के घर पहुंची, तो गली में कई महिलाएं दरवाजों पर बैठकर हरे चने के दाने निकाल रही थीं। सुनील की मां भी अपने दरवाजे पर बैठकर यही काम कर रही थीं। उन्होंने बताया कि पांच किलो झाड़ से चने निकालने पर 20 रुपये मिलते हैं और पूरे दिन काम करने के बाद वे लगभग 50-60 रुपये कमा पाती हैं।

उन्होंने बताया कि घर में कमाई का कोई स्थायी जरिया नहीं है। सुनील के दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें से एक केवल चार महीने का है। कुछ समय पहले उसने किराये पर एक छोटी-सी खाने-पीने की दुकान खोली थी, जिसके लिए उसने कर्ज़ा भी लिया था, लेकिन अब वह दुकान बंद हो चुकी है। उनके दो अन्य बेटे गांधी विहार में कपड़े की दुकान पर काम करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें तलाश रही है, इसलिए वे भी काम पर नहीं जा पा रहे हैं और छिपे हुए हैं।

सुनील की मां ने बताया कि वे जेल में उससे मिलने गई थीं और उन्होंने उससे कहा कि अब वह वहीं रहकर ही मामले का सामना करे। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के समय वे दिल्ली में नहीं थीं, उज्जैन गई हुई थीं और तीन दिन बाद वापस लौटीं। इसलिए उन्हें घटना की पूरी जानकारी नहीं है। उनका कहना था कि उनके बेटे का झगड़ा सीधे तौर पर किसी से नहीं था; यह तो स्कूल के बच्चों के बीच शुरू हुआ विवाद था, जो आगे बढ़ गया।

हथियार के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं मालूम कि हथियार कहां से आया। पहले भी किसी झगड़े का जिक्र होने पर उन्होंने बताया कि लगभग दस साल पहले उनके पति बीमार थे और अस्पताल से लौटते

समय कुछ लड़कों ने सुनील की .बाइक की चाबी निकाल ली और पीछे से हॉकी से मारना शुरू कर दिया। वे किसी तरह बचकर घर आया। बाद में मारने वाले लड़कों में से एक का भाई हाल-चाल लेने घर आया, तो गली-मोहल्ले के लोगों ने गुस्से में उसे ईंट-पत्थर से मार दिया। उस केस में सुनील जेल गया था।

उन्होंने बताया कि वे विधवा हैं। उनके पति गगन सिनेमा में काम करते थे, लेकिन शराब पीने की आदत के कारण बीमार रहते थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

निष्कर्ष

फैक्ट-फाइंडिंग के दौरान मिले बयानों और स्थानीय लोगों से हुई बातचीत के आधार पर यह लगता है कि हत्या की घटना के दिन भी छात्रों के दो गुट के बीच में झगड़े हुए थे। पुलिस को सूचना नहीं दी गई - उसको खुद अपने तौर (मसल पावर) पर सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस को इस वारदात की जानकारी हुई तो पुलिस ने पीड़ित परिवार के प्रति कानून सम्मत व्यवहार नहीं किया। पीड़ित पक्ष की शिकायत में सुनील के अन्य भाईयों को शामिल नहीं किया । दूसरे पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा के इंतजाम में लापरवाही दिखाई।

पीयूडीआर की जाँच में जो स्थितियां और बयान सामने आए उनसे पहली बात तो यह स्पष्ट होती है कि यह किसी इलाके के दो अलग अलग मुहल्लों में रहने वाले बच्चों के बीच के आपसी विवाद तक सीमित था। जैसा कि राबिया ने स्वंय बताया कि घटना के दिन बी-1 में तहजीम को ये कहकर पकड़ने के लिए बच्चों ने कहा कि ये भी सी-3 का रहने वाला है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि बच्चों के बीच विवाद बच्चों के स्तर पर निपट जाते हैं । लेकिन जब बच्चों के अभिभावक यानी परिवार के वयस्क उन विवादों में शामिल होते हैं तो सुलह और संघर्ष दोनों की संभावनाएं व आशंकाएं बन जाती है। 17 फरवरी को भी पहले बच्चों के विवाद में बी-1 ब्लॉक के परिवार के लोग शामिल हो गए। फिर तहजीम ने गाली और मार खाने के हालात में अपने परिवार के सदस्यों को बुला लिया। परिवारों के बीच झगड़े के बढ़ने के दौरान भी एक दूसरे के खिलाफ साम्प्रदायिक भाषा का इस्तेमाल होने की बात किसी ने नहीं बताई है। इस तरह घटना किसी स्पष्ट साम्प्रदायिक टकराव के रूप में तो सामने नहीं आती। अधिकतर मुहल्ले और स्कूल के बच्चों के बीच शुरू हुए विवाद से उपजा संघर्ष प्रतीत होता है, जो बाद में हिंसक हो गया। लेकिन इसमे कानून सम्मत कारर्वाई नहीं होना और पीड़ितों के प्रति एक साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह दिखता है। सरकारी मशीनरी के साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह उस हालात में पीड़ितों के बीच एक ऐसा नजरिया बनने में मदद करते हैं जब समाज में साम्प्रदायिक राजनीति को बढ़ाने की कोशिशों को संरक्षण मिलता हो। राबिया की शिकायत पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों को नामजद नहीं करने तक सीमित थी। लेकिन उस इलाके में सी-3 और आसपास में रहने वाली बड़ी मुस्लिम आबादी ने इसे किसी भी तरह साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं की

एक पीड़ित परिवार की तरह राबिया पुलिस के रवैये के प्रति असुरक्षित महसूस करते हुए मुजवानी शिकायत करती रही । केवल सुरक्षा की गुहार लगाती रही। परिवार में उमरदीन अकेला कमाने वाला था लेकिन उमरदीन की हत्या के बाद मुआवजे एवं नौकरी की मांग करने का ख्याल भी नहीं आया।

ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति में एक नई तरह की विकृति का विस्तार हो रहा है जो घटनाओं में साम्प्रदायिकता के लिए जगह बनाने की कोशिश करती है। समाज में आमतौर पर होने वाली **घटनाओं व विवादों में साम्प्रदायिकता का पहलू प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखता है लेकिन राजनीति जब समाज में साम्प्रदायिक विचारों को बढ़ावा देने में अपनी कामयाबी देखती है तो वह आपसी विवाद व संबंधों को भी साम्प्रदायिक नजरिये से देखने की दिशा में ले जाती है।** घटना को साम्प्रदायिक रंग देने से सत्ता एक राजनीतिक आधार तैयार करती है । साम्प्रदायिकता की राजनीति को दो स्तरों पर घटित होते देखा जा रहा है। एक सत्ता मशीनरी पर काबिज होने के लिए साम्प्रदायिक विचारों, खासतौर से बहुसंख्यकवादी साम्प्रदायिक संगठन व संस्था धार्मिक गतिविधियों के मौके का लाभ उठाकर साम्प्रदायिक तनाव, हमले या दंगे के हालात तैयार करते हैं। इसमे साम्प्रदायिक संगठनों के समर्थकों व सदस्यों की सक्रिय और सीधी भागेदारी हो सकती है। दूसरे स्तर पर जब साम्प्रदायिक विचार के संगठन, संस्था सत्ता की मशीनरी पर काबिज होने में सफल हो जाते हैं तो वह सामाजिक संबंधों या सामाजिक स्तर के विवादों को साम्प्रदायिक नजरिये से देखने के लिए उकसाते हैं। यानी समाज में साम्प्रदायिकता के समर्थकों को तैयार करने के लिए सत्ता की मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। रोज मर्रे के सामाजिक संबंधों के दौरान होने वाले किसी विवाद को साम्प्रदायिक रंग देने या विवाद में शामिल पक्षों को साम्प्रदायिक नजर से विवाद को देखने के लिए सत्ता मशीनरी का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। सामान्य तौर पर होने वाले विवादों में जब दो भिन्न घार्मिक समूहों के सदस्य शामिल होते हैं तो बहुसंख्यकवादी साम्प्रदायिक विचारों से लैस संगठन व संस्था या उसके प्रतिनिधि सत्ता मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए बहुसंख्यकवाद की तरफ झुके मुआवजे, नौकरी, सुरक्षा और बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाईयों के जरिये सामाजिक विवादों को साम्प्रदायिक विवादों में ढालने का संगठित प्रयास करते है।

उत्तम नगर में होली के दिन हुई घटना दो पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े का मामला था, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हुए। इस दौरान घायल युवक तरुण की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जब इस घटना को साम्प्रदायिक रूप दे दिया गया, जिसकी खबर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई गई तो इस खबर से अन्य इलाकों के लोग भी प्रभावित हुए, जिसके परिणामस्वरूप लोग आपसी झगड़ों को भी साम्प्रदायिक नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित हुए। उत्तम नगर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने दफ्तर में बुला कर 'पीड़ित' परिवार से मिली। इसके बाद जे जे कालोनी के बी ब्लॉक (मुस्लिम बहुल) में बुलडोजर चला रेहड़ी पटरी वालों का सफाया किया गया और एक्रोचमेंट के नाम पर दुकानों, घरों के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया।

यह देखा गया कि नंदनगरी में पीडितों के पक्ष में किसी बड़े राजनीतिक हस्तक्षेप की जानकारी भी सामने नहीं आई । सरकारी मशीनरी का भी झुकाव पीड़ितों की तरफ नहीं था। पीड़ित पक्ष केवल कानूनी तौर पर न्यायालय जैसी संस्था को लेकर भरोसा कर रहा है और उसके लिए जागरूक और सक्रिय है। अल्पसंख्यक समुदाय लोकतंत्र में अन्याय के विरुद्ध सामाजिक सहयोग,समर्थन व संसदीय लोकतंत्र के स्तंभों विधायिका व कार्यपालिका के प्रति अपने भरोसे को कमजोर महसूस करता है।असुरक्षा के गहराने के मनोविज्ञान में फंसता है। नंद नगरी में अल्पसंख्यक पीड़ित पक्ष को किसी भी स्तर पर सत्ता मशीनरी का भरोसा नहीं हासिल हुआ।